

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: विशेष नवजात देखभाल ईकाई

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): विशेष नवजात देखभाल ईकाई का परिचालन लागत

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.2.2.1D

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

वैसे संस्थान जहां पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में SNCU की स्थापना कर ली गई है वैसे संस्थानों में उसे संचालित करने तथा इसके आस-पास के परिसर तथा वार्ड जहां नवजात शिशु प्रसवोपरांत रखे जाते हैं । वैसे स्थानों पर उपलब्ध उपकरणों के क्रय या मरम्मत से संबंधित गतिविधियों में उपयोग किया जा सकता है ।

इकाई राशि (रु० में) : 250000/त्रैमासिक – विभिन्न जिलों को आवंटित राशि की सूची Fund Allocation में संदर्भ करें ।

वित्तीय दिशा निर्देश :

इसके अंतर्गत संबंधित वैसे उपकरणों के रखरखाव, जिसका वारंटी एवं AMC(Annual Maintainance Contract) समाप्त हो गया हो एवं यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मत हेतु का परिवहन आदि एवं SNCU के संचालन हेतु आवश्यक Consumbles गतिविधियों में इसका व्यय किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति उन्हीं स्वास्थ्य संस्थानों को यह राशि आवंटित करेगी जहां SNCU कार्यरत है। किसी भी परिस्थिति में इस राशि को जिला स्तर पर आवंटित नहीं किया जाएगा । इस गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क)

(ख)

(ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972, 





